पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
उपरवारा, नया रायपुर, सेक्टर–40, छ.ग. 493661
(छ0ग0 अधिनियम क्र0 21/2008 द्वारा स्थापित)
दूरभाष/फैक्सः 0771–2263234
ई–मेलः healthuniversitycg@yahoo.com
वेबसाइट–www.cghealthuniv.com

क्रमांक/F- 301/N.S.- 06/सा.प्रशा./ DUHS /2018/2208 रायपुर, दिनांक– 03-05-18

पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु विज्ञापन

छत्तीसगढ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन का आदेश क्रं. एफ 3–36/2017/नौ/55–4 दिनांक 27 जुलाई 2017 के परिपेक्ष्य में पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ रायपुर की सेवा भर्ती नियम 2015 के प्रावधान अनुसार पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ रायपुर के **रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है।**

क्र.	पद का नाम	वेतनमान (छटवा वेतनमान)	पद संख्या	आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	
				प्रारंभ	अंतिम तिथि
1.	सहायक ग्रंथपाल	15600–39100+5400	अनारक्षित – 01	05.05.2018	20.05.2018

टीप –

1. पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाईन (Online) ही स्वीकार किये जायेगें।
3. ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने के प चात् आवेदन पत्र में किसी भी समय प्रविष्टी में परिवर्तन नहीं किया जावेगा। आवेदक चाहे तो अंतिम तिथि के पूर्व नवीन आवेदन पत्र भर सकेगा।
4. उपरोक्त पदो के लिए परीक्ष शुल्क सामान्य वर्ग के लिए रू. 500/– एवं अनुसूचित जनजाति/अनु. जाति/अन्य पिछडा वर्ग के लिए रू. 300/– होगी जो ऑनलाईन जमा करना होगा।

   रिक्त पदों से संबंधित विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.cghealthuniv.com पर उपलब्ध है।

कुलसचिव
पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान
एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर

पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
उपरवारा, नया रायपुर, सेक्टर–40, छ.ग. 493661
(छ0ग0 अधिनियम क्र0 21/2008 द्वारा स्थापित)

दूरभाष/फैक्सः 0771–2263234
ई–मेलः healthuniversitycg@yahoo.com
वेबसाइट–www.cghealthuniv.com

क्रमांक/F- 301/N.S.- 06/सा.प्रशा./ DUHS /2018 /2209 रायपुर, दिनांक–03-05-18

पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भवन का आदेश कं एफ 3–36/2017/नौ/55–4 दिनांक 27 जुलाई 2017 के परिपेक्ष्य में पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर की सेवा भर्ती नियम 2015 के प्रावधान अनुसार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

क्र.	पद का नाम	वेतनमान (छटवा वेतनमान)	पद संख्या	शैक्षणिक योग्यता	आयु सीमा वर्षो में
1.	सहायक ग्रंथपाल	15600–39100+ 5400	अनारक्षित – 01	1. हायर सेकेन्डरी/10+2 बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त वि वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस में स्नाकोत्तर उपाधि एवं कंम्प्यूटर साईंस में पत्रोपाधि/उपाधि।	18 से 35

सीधी भर्ती की पात्रता की शर्ते –

आयु : – **(क)** आयु का निर्धारण 01/01/2018 के अनुसार किया जावेगा।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछडा वर्ग का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक छूट दी जाएगी ।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 के नियम 4 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु–सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध मे भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, उच्चतर आयु सीमा में नीचे दी गई सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी :–

(i) ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी शासकीय सेवक हो, उसकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ii) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात जाएगा परंतु इसके परिणाम स्वरूप प्राप्त आयु उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण : – शब्द ''छंटनी किया गया शासकीय सेवक'' ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो इस राज्य का या किसी भी संघटक ईकाईयों के अस्थायी शासकीय सेवा/वि वविद्यालय सेवा 6 मास तक रहा हो।

(iii) ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु इसके परिणाम स्वरुप प्राप्त आयु उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण : – शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की निरंतर कालावधि तक नियोजित रहा हो तथा किसी भी रोजगार कार्यालय मे अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने की या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक

तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता ईकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रुप से कमी किए जाने के कारण जिसकी छटनी की गई हो अथवा जो अधिशिष्ट(सरप्लस) घोषित किया गया हो :–

(i) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवा निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवोन्मुक्त किया गया हो ।

(ii) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो दूसरी बार भरती किए गये हो और
 (क) अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर
 (ख) भरती संबंधी शर्तों के पूर्ण हो जाने पर सेवोमुक्त कर दिया गया हो।

(iii) ऐसे कर्मचारी (सैनिक तथा असैनिक) जो उनकी संविदा की पूर्ण होने पर सेवोन्मुक्त किए गए हों, जिसमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त कर्मचारी सम्मिलित हैं ।

(iv) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें संविदा अवधि समाप्त होने के कारण सेवानुमुक्त किया गया हो।

(v) ऐसे कर्मचारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के बाद सेवोन्मुक्त किया गया हो ।

(vi) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो ।

(vii) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक बनने योग्य नहीं है,

(viii) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लगने से घाव आदि के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) अर्तंजातीय विवाह प्रोत्साहन स्कीम के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के मामले में उच्चतम आयु सीमा मे अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(छ) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक ि ाथिलनीय होगी ।

(ज) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य/निगम/मंडल के कर्मचारी हैं उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।